

24-516

वकील उभयपक्ष उपस्थित है। तलवी प्रतिवादी नं० १ से १/१ की जाकर पत्रावली दि० २५-२६ को पेश है।

13446

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलाधीन/रेस्पोंडेंट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/... अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... 18-516... को पेश है।

रीडर

५०३०७८  
15/6/11

18-516

वकील उभयपक्ष उपस्थित है। पत्रावली दि० २५-२६ को राजस्व लोक अदालत कैम्प अहमदपुर पर पेश है।

उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

24-616

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अहमदपुर पर पेश हुई। वादीगण चिरंजी, भगवानसहाय तथा प्रतिवादी जगरूप, दरकसिंह, श्रीनारायण नवल उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन तहसीलदार गंगापूर सिटी के यहां कराने की बात कही है। विभाजन नहीं होने की स्थिति में नवीन दावा पेश करने की अनुमति के साथ यह दावा वापिस लेने की अनुमति चाही है। प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। पंच डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलेशुमार होकर नम्बर संकम हो एवं बाद तकमील दारखिल दफ्तर हो।

चिरंजी  
जगरूप  
दरकसिंह  
श्रीनारायण  
नवल

(सतीश कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

(रावि कुमार शर्मा)  
एडवोकेट  
सदस्य  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी

(मुनि देव यादव)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
गंगापूर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी



- 2 शक्ति पत्र व
- 3 प्रदर्शों के ति
- 4 ...
- 5 साक्षियों के
- 6 कमिश्नर की
- 7 आदेशिका व

जो

10 फरवरी  
11 चरण सि  
12 श्रीराम

नम्बर व त  
अहकाम ज  
हुकम की त  
में जागी

## मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर  
पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा बाबत विभाजन, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 264/2004

वादी की ओर से वादी चिरंजी व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी जगरूप वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 24.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामे के अनुसार पक्षकारान आपस मे सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ कराने हेतु सहमत है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है तथा सहमति से विभाजन नही होने की स्थिति मे वादी को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 24.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

दी गई।



मुनिदेव यादव  
उपखंड अधिकारी  
उप-जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस			
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			
6 कमिश्नर की फीस			
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

